# कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852


पत्रांक : 01/यो0बजट–26/2020– 418 दिनांक : 13.07.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/गुमला वन प्रमंडल, गुमला।

**विषय :–** वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु कुल **रू0 27.383 लाख (सताईस लाख अड़तीस हजार तीन सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:–** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–36/2020–23/स्वी0 व0प0 दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या–4/यो0 बजट–36/2020–19 व0प0 दिनांक–29.06.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 27.383 लाख (सताईस लाख अड़तीस हजार तीन सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19S24060179609010103 | 15.531 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S24060179609010323 | 11.122 |
| प्रशिक्षण मद | 19S24060179609010335 | 0.730 |
| कुल :– | | **27.383** |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060179609010103, 19S24060179609010323 एवं 19S24060179609010335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछ्ड़ा वर्ग कल्यान विभाग/ग्रामीण विकास विभाग– NRLM, झारखण्ड के साथ समन्वय किया जाय। NRLM के बिक्री केन्द्रों की मदद PALAS से ली जाय, ताकि समेकित बाजार के कारण उत्पाद की पहुँच तथा माँग एवं मूल्य सही एवं समुचित मिल सके।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

**11.** Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

**12.** (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(VIII) कंडिका– VII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(IX) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

**13.** (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

**14.** COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

**15.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

**16.** नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

**17.** योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

**18.** इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

**19.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगें।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. (i) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(ii) अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iii) Master Roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(iv) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(v) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(vi) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(vii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(viii) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(ix) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए है तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करतें है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(x) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–26 / 2020–** 418 दिनांक– 13.07.2022

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / गुमला / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची / पी0एम0यू0सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u>** ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–26 / 2020–** 418 दिनांक– 13.07.2022

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज / दुमका / गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u>** ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या | वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति) | वित्तीय लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | प्रशिक्षण | कुल |
| | | | | **5.319** | **3.809** | **0.250** | **9.378** |
| **i** | **ii** | **iii** | **iv** | **v** | **vi** | **vii** | **viii** |
| 1 | साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज | 125 | 12500 | 5.319 | 3.809 | 0.250 | 9.378 |
| 2 | दुमका वन प्रमंडल, दुमका | 125 | 12500 | 5.319 | 3.809 | 0.250 | 9.378 |
| 3 | गुमला वन प्रमंडल, गुमला | 115 | 11500 | 4.893 | 3.504 | 0.230 | 8.627 |
| कुल योग :– | | **365** | **36500** | **15.531** | **11.122** | **0.730** | **27.383** |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

# रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

..गिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर

*लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)*

*(रू० लाख में)*

| क्र0 सं० | कार्य का विवरणी | दर | तृतीय वर्ष 2022–23 मजदूरी प्रति मानव दिवस 326.85 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक लक्ष्य | मजदूरी | सामग्री | प्रशिक्षण | कुल व्यय |
| 1 | प्रशिक्षण | | | | | | |
| | (क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण | 100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष | | | 1.000 | 0.250 | **1.250** |
| 2 | संचारण व्यय | 1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष | 6250 वृक्ष | 1.021 | | | **1.021** |
| 3 | फसल संरक्षण पर व्यय | 30 रू० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि) | 6250 वृक्ष | | 1.875 | | **1.875** |
| 4 | फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण | 4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष | 6250 वृक्ष | 0.817 | | | **0.817** |
| 5 | तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित) | | | | 0.250 | | **0.250** |
| 6 | लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय | 1 पर्यवेक्षक @ **Rs. 5000/** पर्यवेक्षक प्रति माह | 1 पर्यवेक्षक (12 माह) | 0.600 | 0.000 | 0.000 | **0.600** |
| 7 | CRP (Community Resource Person ) को मानदेय | 12 CRP @ 2000रू0 प्रति माह | 12 CRP (12 माह) | 2.880 | | | **2.880** |
| 8 | अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि) | | | | 0.500 | | **0.500** |
| | *कुल योग–* | | | ***5.319*** | ***3.625*** | ***0.250*** | ***9.194*** |
| 9 | Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.) | **.@ 2 % of Project cost** | | | 0.184 | | **0.184** |
| | सकल योग– | | | **5.319** | **3.809** | **0.250** | **9.378** |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2022-23\Development\Sub-Allotment\MFP\TSP\S.O. No. 23 dt. 19.01.2021\Rate Rangini

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-26/2020/418 दिनांक - 13-Jul-2022

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 19 24060179609010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 36650 | SBJFOR001<br>SRI MANISH TIWARI<br>DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ<br>03 - मजदूरी | 531,900.00<br>रुपये पाँच लाख इकतीस हजार नौ सौ |
| 2 | S 19 24060179609010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 36652 | DMKFOR010<br>AVIROOP SINHA<br>D.F.O.DUMKA<br>03 - मजदूरी | 531,900.00<br>रुपये पाँच लाख इकतीस हजार नौ सौ |
| 3 | S 19 24060179609010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 36654 | GMLFOR001<br>SRIKANT IFS<br>D.F.O. GUMLA<br>03 - मजदूरी | 489,300.00<br>रुपये चार लाख नवासी हजार तीन सौ |

योग: 1,553,100.00

क्रमिक योग: रुपये पंद्रह लाख तीरपन हजार एक सौ

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 13/7/2022

पत्र संख्या :- 01/YB-26/2020/418 दिनांक - 13-Jul-2022

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 | S 19 24060179609010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 36656 | SBJFOR001<br>SRI MANISH TIWARI<br>DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 380,900.00<br>रुपये तीन लाख अस्सी हजार नौ सौ |
| 5 | S 19 24060179609010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 36657 | DMKFOR010<br>AVIROOP SINHA<br>D.F.O.DUMKA<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 380,900.00<br>रुपये तीन लाख अस्सी हजार नौ सौ |
| 6 | S 19 24060179609010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 36658 | GMLFOR001<br>SRIKANT IFS<br>D.F.O. GUMLA<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 350,400.00<br>रुपये तीन लाख पचास हजार चार सौ |

योग: 1,112,200.00

क्रमिक योग: रुपये छब्बीस लाख पैसठ हजार तीन सौ 2,665,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI



Run Date: 13/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-26/2020/418 दिनांक - 13-Jul-2022

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेरा नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 | S 19 24060179609010335<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 36659 | SBJFOR001<br>SRI MANISH TIWARI<br>DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ<br>35 - प्रशिक्षण व्यय | 25,000.00<br>रुपये पच्चीस हजार |
| 8 | S 19 24060179609010335<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 36660 | DMKFOR010<br>AVIROOP SINHA<br>D.F.O.DUMKA<br>35 - प्रशिक्षण व्यय | 25,000.00<br>रुपये पच्चीस हजार |
| 9 | S 19 24060179609010335<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन<br>01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>State Scheme : NA<br>Centeral Scheme : NA | 36662 | GMLFOR001<br>SRIKANT IFS<br>D.F.O. GUMLA<br>35 - प्रशिक्षण व्यय | 23,000.00<br>रुपये तेइस हजार |

योग: 73,000.00

क्रमिक योग: रुपये सत्ताइस लाख अड़तीस हजार तीन सौ 2,738,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI



Run Date: 13/7/2022